राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बिजनौर
चान्दपुर बिजनौर–246725

सन्दर्भ संख्या :– 013 / रा0इ0का0 / छा0प्र0 / आ0सू0 / 2019–20 दिनांक :– 06 / 09 / 2019

–:: छात्रवृत्ति सूचना ::–

सभी छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण (02 अक्टूबर, 2019) की छात्रवृत्ति विवरण हेतु जिनके त्रुटि रहित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फॉर्म व सम्बन्धित दस्तावेजों (माता–पिता / अभिभावक का आय प्रमाण पत्र एवं सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र एवं सत्यापन, निवास प्रमाण पत्र एवं सत्यापन, छात्र का स्वयं का व माता / पिता का आधार कार्ड, पिछली कक्षा का अंक प्रमाण पत्र, सपथ पत्र, शुल्क रशीद संख्या, कक्षा–10 एवं 12 का प्रमाण पत्र इत्यादि) को 03 सितम्बर, 2019 तक जमा कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी दस्तावेज सही प्राप्त होने की दशा में ही ऐसे छात्र / छात्राओं की **छात्रवृत्ति 02 अक्टूबर, 2019 को वितरण किया जाना प्रस्तावित है।**

जिन छात्र / छात्राओं ने अभी तक छात्रावृत्ति का आनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किया है उन सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि आप सभी छात्रवृत्ति का आवेदन सावधानी पूर्वक ही भरे एवं फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पूर्व ठीक तरह से जॉच ले की छात्रवृत्ति का आवेदन सही भर लिया गया है। फाइनल सबमिट करने से पूर्व आवेदन का प्रथम चरण का प्रिन्ट को लेकर सम्बन्धित समिति के सदस्यों से अग्रसारित कराने के उपरान्त ही फाइनल सबमिट करेगें। समिति के जॉच के दौरान यदि को तथ्यों का बदलने के लिए कहा जाता है। तो उक्त फॉर्म में संशोधन के उपरान्त छात्रवृत्ति आवेदन को फ़ाइनल सबमिट करने के बाद पुनः उन्हीं समिति के सदस्यों से अग्रसारित कराते हुए अधिष्ठाता कार्यालय में 03 बजे से 05 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी छात्र / छात्रा के द्वारा प्रथम चरण के प्रिन्ट को लेकर सम्बन्धित समिति के सदस्यों से अग्रसारित किये बिना ही फाइनल सबमिट कर दिया जाता है तो त्रुटि होने की दशा में फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस दशा में उक्त छात्र / छात्रा का छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म को संस्थान / समाज कलयाण विभाग के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। जिसके जिम्मेदार छात्र / छात्रा स्वयं होगे।

❖ नोटः–

1. अवशेष छात्र / छात्रऐं छात्रवृत्ति आवेदन का फॉर्म दिनांक 16 सितम्बर, 2019 से संस्थान में समिति से हस्ताक्षर कराने के उपरान्त फॉर्म में नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) के हस्ताक्षर व निदेशक महोदय के हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के लिए अधिष्ठाता शैक्षिक कार्यालय में श्री अनिल कुमार अथवा सर्वर रूम (नोडल अधिकारी कार्यालय) के पास जमा करना सुनिश्चित करे।
2. छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म को जमा करने के दो कार्य दिवसों के उपरान्त आवेदन फॉर्म को अधिष्ठाता शैक्षिक कार्यालय में श्री अनिल कुमार अथवा सर्वर रूम (नोडल अधिकारी कार्यालय) के पास से लेकर उसकी सॉफ्ट कापी की PDF फाईल 01 से 02 MB के मध्य बनाकर अधिष्ठाता शैक्षिक कार्यालय में श्री अनिल कुमार अथवा सर्वर रूम (नोडल अधिकारी कार्यालय) के पास 03 बजे से 05 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें।
3. सभी छात्र / छात्राओं को यह निर्देशित किया जाता है कि समिति के सदस्यों के पास 03:00 बजे के बाद ही जॉच एवं हस्ताक्षर हेतु जाना / सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।
4. यदि 03:00 बजे पूर्व कोई भी छात्र / छात्रा समिति के सदस्यों के पास जॉच एवं हस्ताक्षर हेतु सम्पर्क करते है तो यह मान लिया जायेगा कि उक्त छात्र / छात्रा अपनी कक्षा में अनुपस्थित है एवं लेक्चर छोड़ रहे है। जिसके कारण उनपर लेक्चर छोड़ने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु सभी छात्र / छात्राओं की **उपस्थिति 75 प्रतिशत** होना अनिवार्य है। **75 प्रतिशत** से उपारिथति कम होने की दशा में यदि कलयाण विभाग के द्वारा आप की छात्रवृत्ति को रोक दिया जाता है तो उसके जिम्मेदार छात्र / छात्रा स्वयं होगे। जिसमें संस्थान स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जायंगी।
6. जिन छात्र / छात्राओं का Biometric पंजीकरण नहीं हुआ है। वे तत्काल अपने विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर Biometric पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

06/09/2019

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ
राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर

Scanned by CamScanner